दिनांक 04.05.2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मिर्जापुर ।

विषय: मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट वन प्रभाग के ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण में 61.2348हे0 गैर वानिकी कार्य के सापेक्ष कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के घोरावल रेंज अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ग्राम पूरना एवं पेढ़ में कुल 57.559हे0 गैर वन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में विज्ञप्ति हेतु तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में। **(Proposal No. FP/UP/IND/39403/2019)**

संदर्भ: **1.** प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर का पत्रांक 1477 / 33—1 दिनांक 11.10.2025
2. इस संस्थान का पत्र दिनांक 20.10.2025
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट का पत्रांक 2528 / रेनुकूट / 15—31 दिनांक 21.01.2026

महोदय,

विषयक प्रकरण में सादर अवगत कराना है कि इस संस्थान द्वारा पूर्व में अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वर्ष 1996 में हस्तांतरित गैर-वन भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के स्वामित्वाधीन अंकित है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त भूमि पर पौधारोपण हेतु निर्धारित प्रतिकर राशि पूर्व में ही इस संस्थान द्वारा उपलब्ध करा दी गई है और संबंधित भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण की कार्यवाही भी संपादित की जा चुकी है। यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि उक्त भूमि पर स्वामित्व एवं प्रबंधन का अधिकार वन विभाग के पास निहित है।

चूँकि प्रश्नगत भूमि वन विभाग के स्वामित्वाधीन है, अतः भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 में विज्ञप्ति कराने हेतु आवश्यक तरमीमी मानचित्र तैयार कराने का विधिक अधिकार भी केवल वन विभाग को ही प्राप्त है। इस संस्थान को न तो उक्त मानचित्र तैयार कराने का और न ही धारा-4 के अंतर्गत विज्ञप्ति की कार्यवाही कराने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त है। फलस्वरूप, इस प्रकरण में संस्थान के स्तर से कोई भी विधिक अथवा प्रक्रियागत कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में संस्थान द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.10.2025 के माध्यम से क्रमिक विवरण भी प्रेषित किया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पत्र की छायाप्रति मयसंलग्नक प्रेषित है।

जहाँ एक ओर अपेक्षित कार्यवाही संस्थान के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है और, सक्षम वन विभाग के स्तर से किया जाना अपेक्षित है। वहीं दूसरी ओर, ऑनलाइन फारेस्ट क्लीयरेन्स पोर्टल पर यह प्रस्ताव निरन्तर लम्बे समय से प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित प्रदर्शित हो रहा है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इस दीर्घकालिक लम्बित प्रकरण में यथोचित एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

सधन्यवाद,

Received
04-05-2026

भवदीय,
कृते हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

Vijay Dub

(विजयकान्त दूबे)
हेड-लीगल

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को (मयसंलग्नक) सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विषयक प्रकरण में संस्थान का मार्गप्रदर्शन करने की कृपा करें।

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ।

ADITYA BIRLA

HINDALCO

दिनांक **20.10.2025**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,

वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र,

उ0प्र0 कानपुर।

विषय: मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट वन प्रभाग के ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण में 61.2348 हे0 गैर वानिकी कार्य के सापेक्ष कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के घोरावल रेंज अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ग्राम पूरना एवं पेढ़ में कुल 57.559हे0 गैरवन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में विज्ञप्ति हेतु तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में । **(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/IND/39403/2019)**

संदर्भ: **1.** आपका पत्रांक 948/7–4 कानपुर दिनांक 13.10.2025

2. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर का पत्रांक 1477/33–1 कैमूर, दिनांक 11.10.2025

3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट का पत्रांक 1307/रेनुकूट/15–31 दिनांक 16.10.2025

महोदय,

प्रकरण में कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। संदर्भित पत्र के अनुपालन में हिण्डालको संस्थान का बिन्दुवार कथन निम्नप्रकार है –

1. हिण्डालको संस्थान द्वारा ग्राम पेढ अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि का हस्तानान्तरण, वन विभाग द्वारा मौके की जॉच के उपरान्त दी गई सहमति के आधार पर किया गया था। जिसके सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, पश्चिमी मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर द्वारा जारी पत्र संख्या 1584/पश्चिमी/15–1 दिनांक 06.10.1990 की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक संख्या–1)**

2. इसी प्रकार ग्राम पुरना अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि का हस्तानान्तरण भी वन विभाग द्वारा मौके की जॉच के उपरान्त दी गई सहमति के आधार पर किया गया था। जिसके सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, पश्चिमी मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर द्वारा जारी पत्र संख्या 2260/पश्चिमी/15–1 दि0 मिर्जापुर 14.10.1991 की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक संख्या–2)**

3. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, कैम्प मिर्जापुर के पत्रांक 1312/ सोनभद्र/15 दिनांक 08.11.1995 के अनुपालन में हिण्डालको संस्थान द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.11.1995 **(संलग्न)** द्वारा सी0ए0 वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि रू0–12,15,249.00 का भुगतान ड्राफ्ट संख्या 578091 दिनांक 27.11.1995 के माध्यम से किया गया था। **(संलग्नक संख्या–3)**

4. वन विभाग द्वारा गैर वन भूमि की जॉचोपरान्त निर्गत सहमति/सूचना के लगभग 05 वर्ष उपरान्त हिण्डालको संस्थान द्वारा ग्राम पेढ व पुरना की उक्त गैर वन भूमि का हस्तान्तरण (रजिस्ट्री) अभिलेख दिनांक 06.10.1995 के माध्यम से वन विभाग को किया गया, तदोपरान्त दिनांक 25.02.1997 को उक्त गैर वन भूमि का कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त किया गया। कब्जा दखल प्राप्ति प्रमाण पत्र दिनांक 25.02.1997 की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक संख्या–4)**

प्रतिलिपि 24/10/25

5. इसी तारतम्य में वन संरक्षक महोदय, विन्ध्य वृत्त, उ0प्र0, रामनगर वाराणसी को सम्बोधित प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, कैम्प मिर्जापुर के पत्रांक 2960/सोनभद्र/15 दिनांक 02.03.1997 **(संलग्न)** में यह अवगत कराया गया है कि मे0 हिण्डालको द्वारा उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि पर वन विभाग द्वारा वर्तमान में पूर्णरूपेण कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है। जिसके क्रम में वन संरक्षक महोदय, विन्ध्य वृत्त, उ0प्र0, रामनगर वाराणसी द्वारा अपने पत्रांक 4044/वि0व0/15 दि0–22.03.1997 **(संलग्न)** द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग को उक्त गैर वन भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने विषयक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित भी किया गया था। **(संलग्नक संख्या–5 व 6)**

6. हिण्डालको संस्थान द्वारा हस्तानान्तरित गैर वन भूमि, वन विभाग (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) के कब्जे में है एवं राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद भी हो चुकी है, इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय वन अधिकारी घोरावल के पत्र संख्या 145/15 दिनांक 18.12.2017 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के पत्रांक 1758/33–1 दिनांक 21.12.2017, पत्रांक 3049/15–1 दिनांक 07.05.2018 व पत्रांक 1422/33–1 दिनांक 19.11.2020 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–7, 8, 9 व 10)**

7. हिण्डालको संस्थान के अधिवक्ता द्वारा तरमीमी मानचित्र हेतु प्रमाणित मानचित्र में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम कराकर आख्या सहित, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, सोनभद्र के न्यायालय में जमा किया गया, जिसके उपरान्त जनपद–सोनभद्र में मा0 न्यायालय द्वारा वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अथवा क्षेत्रीय वन अधिकारी, घोरावल रेंज से प्रस्तावित मानचित्र जो तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित की गई थी, पर सहमति/सूचना मॉगी गई कि **"क्या वन विभाग की तरफ से हिण्डालको को यह वाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है?"**

इस सम्बन्ध में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर का पत्रांक–2958/10–1 मिर्जापुर/दिनांक 21.06.2023 **(संलग्न)** जो क्षेत्रीय वन अधिकारी, घोरावल रेंज को सम्बोधित है, में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि *मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट सोनभद्र द्वारा अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सोनभद्र के न्यायालय में ग्राम पेढ व पुरना में उपलब्ध कराई गयी गैर वनभूमि का तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु वाद दाखिल किया गया है। उक्त गैर वन भूमि, वन विभाग के नाम दर्ज है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप विभागीय वन अधिवक्ता श्री नरेन्द्र देव पाण्डेय के माध्यम से मा0 अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सोनभद्र के न्यायालय में ग्राम पेढ में 19.354हे0 एवं0 ग्राम पुरना में 38.205हे0 उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि को भारतीय अधिनियम 1927 की धारा–4/29 का प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु अपना पक्ष रखते हुए प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें।* **(संलग्नक संख्या–11)**

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि **मानकीय न्यायालय में संस्थान द्वारा दाखिल उक्त मुकदमा केवल इस कारण से निरस्त हो गया, क्योंकि प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम दर्ज थी और वन विभाग द्वारा मुकदमा संस्थित नहीं किया गया था।**

Corporate Office: 6th & 7th Floor, Birla Centurion, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400030, India | T: +91 22 66626666/62610555 | F: +91 22 62610400/62610500
Registered Office: 21st Floor, One Unity Center, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400013, India | T: +91 22 69477000/69477150 | F: +91 22 69477001/69477090
W: www.hindalco.com | E: hilinvestors@adityabirla.com | Corporate ID No.: L27020MH1958PLC011238

ADITYA BIRLA

HINDALCO

8. हिण्डालको संस्थान द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2024, 17.02.2024 एवं 10.04.2024 के माध्यम से अपने (संस्थान) अधिवक्ता को ऑथोराइजेशन लेटर, वकालतनामा एवं दोनों ग्रामों हेतु तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर सहमति पत्र प्रदान करने हेतु कई बार प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग महोदय से अनुरोध भी किया गया, परन्तु इस संदर्भ में भी संस्थान को न तो कोई उत्तर प्राप्त हुआ और न ही कोई दिशा–निर्देश प्राप्त हुआ। **(संलग्नक–12, 13, व 14)**

राजस्व अभिलेखों में प्रश्नगत भूमि, वन विभाग के स्वामित्व में होने के कारण विधि अनुसार संस्थान को उक्त प्रकरण में स्वतंत्र रूप से कार्यवाही का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी संस्थान द्वारा प्रकरण में अपेक्षित प्रगति हेतु विगत कई वर्षों से निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

हिण्डालको संस्थान द्वारा गैर वन भूमि का हस्तान्तरण, सक्षम स्तर (वन विभाग) से जॉचोपरान्त जारी सहमति पत्र के आधार पर विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत किया गया, परन्तु आज लगभग 35 वर्ष (वर्ष 1990 से वर्ष 2025) के पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण में यह कहा जाना कि गैर वन भूमि का अधिकांश भाग वनभूमि में ही तरमीमी किया गया है, संस्थान की समझ से परे है।

महोदय, आपसे विनम्र अनुरोध है कि नक्शा तरमीम कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वन विभाग के अधिवक्ता के माध्यम से वाद दाखिल कराने की कृपा करें, जिसमें संस्थान सहयोग के लिए तैयार है। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि तरमीम किया गया नक्शा गलत है तो वन विभाग के द्वारा नक्शा तरमीम कराकर सहमति पत्र के साथ वाद दाखिल किया जा सकता है। उक्त कार्य राजस्व कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्व नक्शे में वन भूमि के नोटिफिकेशन के अनुसार कोई डिमार्केशन नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई राजस्व कर्मचारी/अधिकारी हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक कि राजस्व के मूल नक्शे में धारा 20 की भूमि का डिमार्केशन नहीं हो जाता।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्तानुसार हिण्डालको संस्थान के पक्ष पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उक्त दीर्घकालिक लम्बित प्रकरण में अपेक्षित प्रगति हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करने की कृपा करें, ताकि भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सधन्यवाद,

भवदीय,
कृते हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

Vijay Kant

(विजयकान्त दूबे)
हेड–लीगल

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विषयक प्रकरण में संस्थान का मार्गप्रदर्शन करने की कृपा करें।

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर (मय संलग्नक)। ।
2. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर (मय संलग्नक)।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (मय संलग्नक)।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, घोरावल रेंज।

संलग्नक — 1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पश्चिमी मिर्जापुर वन प्रभाग मिर्जापुर।

पत्रांक 1584 /पश्चिमी/15-1 दिनांक, मिर्जापुर, अक्टूबर 6 1990

सेवामें,

मेसर्स हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रेनूकूट, सोनभद्र।

विषय- भूमि हस्तान्तरण।

सन्दर्भ- आपका पत्र दिनांक 5.10.90।

महोदय,

आपसे पेंद, पुरना, कन्हारी व मधुरही ग्रामों परगना दुद्धी तहसील राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र की पूर्व में प्राप्त सूची में उल्लिखित गाटा प्लाट नम्बरों का वन विभाग में लेने सम्बन्धित प्रस्ताव का मौके की जाँच कराई गई। ग्राम पेंद व कन्हारी में प्राप्त सूची में उल्लिखित नम्बरों में से कुछ को छोड़कर शेष नम्बर जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, वन विभाग में लिए जा सकते हैं।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल बि०	बि०	बि०
1-	पेंद	303ग	4	0	0
		303ङ	20	15	0
		306ग	0	6	0
		306ङ	10	4	0
		307ग	3	0	0
		307 घ	1	10	0
		308ख	4	0	0
		320ख	12	10	0
		320ङ	4	4	0
		321ग	15	19	0
		10नं0 योग=	76	10	0
2-	कन्हारी	82/4	26	2	0
		82/5	20	1	0
		82/6	8	2	0
		470/2	14	0	0
		466/8	8	0	0
		469/2	3	8	0
		471/5	2	2	0
		471/4	9	14	0
		471/6	10	0	0
		471/2	1	13	10

क्रमशः

(2)

471/20	2	10	0
466/2	8	8	0
466/4	8	14	0
466/1	6	0	0
14	128	17	10

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पुरना में वन विभाग में लेने के लिए वन भूमि का स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः इस ग्राम में अभी कोई प्रस्ताव स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

ग्राम मझुरही में आप द्वारा प्रस्तावित भूमि वन विभाग को दिये जाने के सम्बन्ध में उसकी उपयुक्तता की जाँच कराई जा रही है। इस सम्बन्ध में सूचना बाद में आपको भेजी जायेगी।

(जी0नारायण मूर्ति)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पश्चिमी मिर्जापुर वनप्रभाग मिर्जापुर

संख्या 1501/समदिनांक

प्रतिलिपि वन संरक्षक वाराणसी वृत्त-2, उ0प्र0 वाराणसी की सेवा में उनके पत्र संख्या 335/वा0-2/टीसी 2 दिनांक 25.3.90 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। ग्राम पेढ़ व कन्हारी के उक्त नम्बर भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत नहीं है।

(जी0नारायण मूर्ति)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पश्चिमी मिर्जापुर वनप्रभाग मिर्जापुर

संलग्नक - 2

12/9

[illegible] 2260/[illegible]/15 [illegible], [illegible] 1991 [illegible]

सेवा में,

मे0 [illegible] [illegible] लि0

रेणुकूट सोनभद्र ।

विषय- भूमि का [illegible] ।

महोदय,

आपसे ग्राम पुरना परगना [illegible], तहसील [illegible] जिला [illegible] में प्राप्त भूमि [illegible] प्रस्ताव की मौके पर जाँच करा ली गई है । ग्राम पुरना में प्राप्त भूमि [illegible] नम्बर [illegible] नीचे दिया जा रहा है । [illegible] उपयुक्त है, लिये जा सकते है ।

ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
पुरना	2[illegible]	70	16	0
	2[illegible]	10	2	0
	2[illegible]	8	2	0
	2[illegible]	14	19	0
	2[illegible]	10	5	0
	2[illegible]	10	6	0
	2[illegible]	10	0	0
	[illegible] 2[illegible]	2	11	0
		151	1	0

भवदीय,

(signature)

[illegible]

प्रभारी अधिकारी

[illegible]

[illegible]

प्रतिलिपि [illegible]

संलग्नक – 3

HINDALCO INDUSTRIES LTD.

28th Nov.,1995

The Divisional Forest Officer,
Sonbhadra Forest Division,
Camp: Mirzapur(U.P.)

Sub: Payment of cost for compensatory afforestation over non-forest land measuring 57.570 hectors transferred by Hindalco in favour of Forest Deptt. in villages Purna & Pedh.

Dear Sir,

We thank you for your letter No.1312/Sonbhadra/15 dated 8th November,1995 on the above subject.

As directed by you, we are enclosing herewith our Demand Draft No.578091 dated 27th November,1995 for Rs.12,15,249.00 (Rupees twelve lacs fifteen thousand two hundred fortynine only) drawn on State Bank of India Mirzapur in your favour being full and final payment of cost for compensatory afforestation over non-forest land measuring 57.570 hectors.

Please send the breakup of cost as worked out by you for our records and also your stamped receipt acknowledging the receipt of payment.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Hindalco Industries Limited,

(Suresh Chandra)
General Manager(Administration).

encl: as above.

cc: Sri K.M. Pathak, Mirzapur: alongwith letter in original addressed to D.F.O. Sonbhadra and draft for Rs.12,15,249/-. As discussed you may handover the draft and letter to D.F.O. Sonbhadra after getting the required breakup of the cost as worked out by them. Please also obtain receipt for the above payment.

...ived copy along with Bank draft – 578091 dt 27.11.95 for 12,15,249.00 (Twelve lacs fifteen thousand two hundred forty nine) only

संलग्नक - 4

कब्जा–दखल प्राप्ति प्रमाण पत्र

दिनांक : 25.2.1997.

विषय : भारत सरकार के पत्रांक 8–200/90–एफ.सी. दिनांक 2.1.1992 एवं 8–5/93–एफ.सी. दिनांक 22 अगस्त 1994 तथा हस्तांतरण अभिलेख दिनांक 6 अक्टूबर 1995 के अनुपालन में 57.57 हेक्टेयर गैर वानिकी भूमि का मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेणुकूट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार, वन विभाग को स्थल पर कब्जा दिये जाने के संबंध में ।

उपरोक्त 57.57 हेक्टेयर गैर वानिकी भूमि स्थित ग्राम पेढ़ एवं पुरना, तहसील – राबर्टसगंज, जिला सोनभद्र (उ0प्र0) जिसका गाटावार विवरण निम्नानुसार है और जिसे संयुक्त रूप से डा० कुदाम नाग रेन्ज आफिसर, घोरावल रेन्ज, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र एवं श्री सुरेश चन्द्र, महाप्रबन्धक (प्रशासन), हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेणुकूट, सोनभद्र ने हस्ताक्षरित किए तथा आज दिनांक 25 फरवरी 1997 को श्री सुरेश चन्द्र, महाप्रबन्धक (प्रशासन), हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेणुकूट से स्थल पर डा० कुदाम नाग, रेन्ज आफिसर, घोरावल रेन्ज, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र ने वन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से कब्जा प्राप्त कर इस मूल कब्जा दखल प्राप्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए ।

ग्राम का नाम	खसरा प्लाट	क्षेत्रफल बी0बी0बी0	कुल बी0बी0बी0	
अ) पेढ़	303 ग	4– 0–0	1385-1410 फ०	[illegible]
	303 ड.	20–15–0	-do-	-do-
	306 ग	0– 8–0	-do-	[illegible]
	306 ड.	10– 4–0	-do-	[illegible]
	307 ग	3- 0–0	-do-	[illegible]
	307 च	1–10–0	-do-	[illegible]
	308 ख	4– 0–0	-do-	[illegible]
	320 ख	12–10–0	-do-	[illegible]
	320 ड.	4– 4–0	-do-	[illegible]
	321 ग	15–19–0	-do- 76–10–0	[illegible]

For HINDALCO INDUSTRIES LIMITED

(SURESH CHANDRA)
GENERAL MANAGER (ADMINISTRATION)

वन राजि अधिकारी
घोरावल रेंज

क्रमशः ..... 2.

ब) पुरना	2 क गी	76-16-0	
	2 क गी	10- 2-0	
	2 ग	8- 2-0	
	2 घ ख	14-19-0	
	2 च	10- 5-0	
	2 ज	10- 6-0	
	2 छ	18- 0-0	
	2 ञ	2-11-0	151 - 1-0

कुल योग (अ + ब) = 227 बीघा 11 बिस्वा अर्थात 57.57 हेक्टेयर

उपरोक्त 57.57 हेक्टेयर गैर वानिकी भूमि के स्वामित्व का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में वन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में नायब तहसीलदार, तहसील राबर्टसगंज, जिला सोनभद्र द्वारा मुकदमा नं0 153/253 दिनांक 23.9.1996 ग्राम पेढ़ तथा मुकदमा नं0 156/253 दिनांक 23.9.1996 ग्राम पुरना में पारित अमल दरामद आदेश के तहत दर्ज हो चुका है ।

कब्जा प्राप्त कर्ता

25/2/97

(डा. [illegible])

रेन्ज आफिसर

घोरावल रेन्ज

सोनभद्र वन प्रभाग

सोनभद्र (उ0प्र0)

वन क्षेत्राधिकारी

घोरावल रेंज

साक्षी:

1 —

2 —

कब्जा हस्तांतरण कर्ता

For HINDALCO INDUSTRIES LIMITED

25/2/97

(SURESH CHANDRA)

GENERAL MANAGER (ADMINISTRATION)

(सुरेश चन्द्र)

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0

रेणुकूट, सोनभद्र (उ0प्र0)

साक्षी 1 - (K. M. Palmer) Hindalco.

2 - (Shailendra Kumar) Hindalco

संलग्नक-5

कार्यालय, प्रभागीय वन अधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र कैम्प-मिर्जापुर।
पत्रांक, 2960 /सोनभद्र/ 15 /दिनांक, मिर्जापुर, मार्च, 3 ,97.
सेवा में,

वन संरक्षक,
विन्ध्य वृत्त, उ0 प्र0,
रामनगर-वाराणसी।

विषय:- मे0 हिण्डालको इन्डस्ट्रीज को रेडमड लेक के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने के फलस्वरूप आश्वासन सं0 183/32-94-94 की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- सा-3725/वाराO/11-5/दिनांक 1.3.97

महोदय,

विषयगत प्रकरण की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है:-

1- दिनांक 6.10.95 को मे0 हिण्डालको द्वारा सेल डीड द्वारा ग्राम पुरना से 38.2156 तथा ग्राम पेढ़ से 19.3545 कुल 57.570 हे0 गैर वन भूमि वन विभाग के नाम रजिस्ट्री द्वारा हस्तान्तरण किया गया था।
रजिस्ट्री कृत उक्त 57.570 हे0 गैर वन भूमि का मार्च-1996 में राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम अमलदरामद किया गया है।

2- उक्त हस्तान्तरित गैर वन भूमि में ग्राम पेढ़ से प्राप्त 19.3545 हे0 गैर वन भूमि निर्विवाद होने के कारण 11 हे0 वन क्षेत्र में 1996 वर्षाकाल में वनीकरण कार्य कराया गया था, शेष 8.3545 हे0 क्षेत्र में 97 वर्षा रोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

3- ग्राम पुरना से प्राप्त 38.2156 हे0 गैर वन भूमि जो वन क्षेत्र से लगी हुयी गैर वन भूमि है की सीमा स्पष्ट न होने तथा मे0 हिण्डालको द्वारा मौके पर कब्जा न दिलाये जाने के कारण वनीकरण कार्य अब तक नहीं हो सका था, दिनांक 25.2.97 को मे0 हिण्डालको के प्रतिनिधि श्री सुरेश चन्द्र द्वारा मौके पर 38.2156 हे0 गैर वन भूमि का कब्जा इस प्रभाग के प्रतिनिधि डा0 कुशल नाथ, रेंज आफीसर घोरावल को हस्तगत कर दिया है जिस पर जुलाई-97 वर्षा रोपण में वनीकरण कार्य हेतु अग्रिम मृदा कार्य प्रगति पर है।
अतः मे0 हिण्डालको द्वारा उपलब्ध करायी गयी 57.570 हे0 गैर वन भूमि पर वन विभाग द्वारा वर्तमान में पूर्ण रूपेण कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है। यदि 57.570 हे0 गैर वन भूमि के संबंध में आश्वासन सं0 183/32-94-94 की पूर्ति का प्रश्न है तो यहाँ स्पष्ट करना उचित होगा कि आश्वासन संख्या-183/32-94-94 की प्रतिपूर्ति पूर्णतया हो जाती है। अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(डा0 के0 एल0 मीना)
प्रभागीय वन अधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र कैम्प-मिर्जापुर
3/3

क्रमशः पेज दो पर

संख्या-   अ/सम दिनांक ।

प्रतिलिपि-नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, उ0 प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0 प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्रांक 2650 दिनांक 1.2.97 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-उपाध्यक्ष, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 23 विधानसभा मार्ग लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

§ डा0 के0 एल0 मीना §
प्रभागीय वन अधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र कैम्प-मिर्जापुर।

संलग्नक – 6

कार्यालय वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, उ0प्र0, रामनगर–वाराणसी ।

पत्रांक–सा–I–1044/(वि0वृ0)/18/दिनांक: रामनगर: मार्च: 22, 1997 ।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनूकूट वन प्रभाग,
रेनूकूट–सोनभद्र

विषय:– मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनूकूट द्वारा ग्राम–मेढ़ व पुरना में 57.57 हे0 गैर वन भूमि वन विभाग को देना : रेडमड लेक निर्माण तथा रेनू सागर पावर कम्पनी के ऐश डैम निर्माण सम्बन्धी वन भूमि हस्तान्तरण ।

संदर्भ :– आप का पत्रांक–4561/रेनूकूट/15, दिनांक 10–3–97 ।

विषयगत प्रकरण में सामान्य प्रबन्धक, (प्रशासन) मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 के आपको सम्बोधित पत्रांक–शून्य दिनांक 28–2–97 को अवलोकन करें । इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है ।

इसी क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, के पत्रांक–2960/सोनभद्र/15, दिनांक 3–3–1997 की छाया प्रति एतद्सह संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । जिससे स्पष्ट है कि मे0 हिण्डालको द्वारा उपलब्ध कराई गई 57.570 हे0 गैर वन भूमि पर वन विभाग द्वारा पूर्ण रूपेण कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है ।

इसी तारतम्य में अपने पत्रांक–3951/रेनूकूट/15, दिनांक 13–2–97 का संदर्भ ग्रहण करें । मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज को अब 13.3468 हे0 गैर वन भूमि रेनूकूट वन प्रभाग को उपलब्ध करानी है । इसकी अद्यतन स्थिति/प्रगति से अवगत करें तथा भूमि का कब्जा प्राप्त कर उसका अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के पक्ष करवाने हेतु मे0 हिण्डालको को निर्देशित करें । उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना बनाकर नोडल अधिकारी को यथा शीघ्र भेजें तथा इस गैर वन भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने विषयक कार्यवाही का किया जाना भी सुनिश्चित करें ।

संलग्नक:– यथोपरि ।

(हस्ताक्षर) 21/3
(वी0के0ठाकुर)
वन संरक्षक,
विन्ध्य वृत्त, उत्तर प्रदेश,
रामनगर–वाराणसी ।
17-3-97

15/ 10701 29-3-97

संख्या- /अ/ , समदिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, मिर्जापुर को उनके पत्रांक-2960/सोनभद्र/15, दिनांक 3-3-97 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि को संरक्षित वन घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें । उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण योजना बनाकर नोडल अधिकारी, उ0प्र0 को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें ।

(वी0के0ठाकुर)
वन संरक्षक,
विन्ध्य वृत्त, उत्तर प्रदेश,
रामनगर-वाराणसी ।

संलग्नक - 7

कार्यालय - क्षेत्रीय वनाधिकारी, घोरावल रेंज, सोनभद्र।
पत्रांक 145 / 15 दिनांक 18.12.17

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मिर्जापुर

विषय:- हिन्डालको की भूमि के सम्बन्ध में :- पेड़ व पुरवा क्षेत्र का जी.पी.एस. रीडिंग।

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आपसे हुई दूरभाष द्वारा वार्ता दिनांक 12.12.17 के अनुपालन में पुरवा क्षेत्र व पेड़ क्षेत्र का मौके का स्थलीय जाँच की गयी, मौके का जी.पी.एस. रीडिंग लिया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। मौके की जाँच के अनुसार सम्बन्धित वन क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है।
रिपोर्ट सादर प्रेषित।

पुरवा

1. N- 24°46.44.2
   E 082°42.16.6
2. N- 24°46.49.0
   E 082°42.22.3
3. N- 24°46.40.8
   E 082°42.08.4
4. N- 24°46.39.7
   E 082°42.04.2

पेड़

1. N- 24°49.60.0
   E 082°42.38.7
2. N- 24°49.22.7
   E 082°42.21.7
3. N- 24°49.09.8
   E 082°42.04.0

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैमूर वन्य जीव विहार
घोरावल रेंज (सोनभद्र)

संलग्नक- 8

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या- 1758 / 33-1 दिनांक, मिर्जापुर, दिसम्बर 21 2017.

सेवा में,

गुख्य वन संरक्षक,
गीरजापुर क्षेत्र, गीरजापुर।

विषय: मे0 हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट सोनभद्र रेनुकूट वन प्रभाग में ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 61.2348 हे0 के सापेक्ष कैमूर वन्य जीव प्रभाग, गिर्जापुर के अन्तर्गत 57.57 हे0 गैर वन भूमि के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-07टी0सी0/11-सी-बैठक दिनांक 01-11-2017 एवं आपका पत्रांक 2086/मी0/33 दिनांक 09-11-2017 एवं आपका पत्रांक 2562/मी0/33 दिनांक 13-12-2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कग में अवगत कराना है कि मे0 हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट सोनभद्र द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, गिर्जापुर को उपलब्ध करायी गयी भूमि कमशः ग्राम पुरना में 38.205 हे0 व ग्राम पेढ़ में 19.354 हे0 कुल 57.559 हे0 राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर दिया गया है।

भवदीय

(ओ0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मिर्जापुर।

संख्या- / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संदर्भित पत्र के कग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिम क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर।

(ओ0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मिर्जापुर।

22/12/17

संलग्नक – 9

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या– 3049 / 15-1 दिनांक, मिर्जापुर,अप्रैल 07-5- 2018.

सेवा में,

क्षेत्रीय वनाधिकारी
घोरावल रेंज।

विषय: मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट सोनभद्र ने रेनुकूट वन प्रभाग में ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 61.2348 हे0 के सापेक्ष कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत 57.559 हे0 गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 की विज्ञप्ति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक 2839/33दि0 22–12–2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा इस प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम पुरना व पेढ़ में प्राप्त गैर वन भूमि को धारा–4 में विज्ञप्ति आदेश निर्गत कराने हेतु शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के कम में मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट, सोनभद्र द्वारा कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग को उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि कमशः ग्राम पुरना में 38.205 व ग्राम पेढ़ में 19.354 हेतु कुल 57.559 हे0 राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करा दिया गया है, परन्तु अभी तक धारा–4 की कार्यवाही शेष है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अमलदरामद खतौनी के अनुसार आराजियात को क्षेत्रीय लेखपाल से राजस्व मानचित्र पर चिन्हित/तरमीम उपरान्त सम्बन्धित लेखपाल व आपके हस्ताक्षर सहित मानचित्र की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि भ0व0अ0 1927 के धारा–4 हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(ओ0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मिर्जापुर

संख्या– 3049 / 15-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि तहसीलदार, घोरावल–सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मिर्जापुर

संलग्नक – 10

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या– 1422 / 33-1 दिनांक, मिर्जापुर, नवम्बर 19 2020.

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी

घोरावल रेंज।

विषयः ग्राम पुरना व पेढ़, तहसील घोरावल, परगना बढ़हर, जनपद सोनभद्र में प्राप्त गैर वन भूमि से सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेख प्राप्त कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भः 1– इस कार्यालय का पत्रांक 3697/33–1 दिनांक 10–6–2020.

2– इस कार्यालय का पत्रांक 3846/33–1 दिनांक 27–6–2020.

3–इस कार्यालय का पत्रांक 35/33–1 दिनांक 03–07–2020.

4–इस कार्यालय का पत्रांक 94/33–1 दिनांक 09–07–2020.

5–इस कार्यालय का पत्रांक 265/33–1 दिनांक 31–7–2020.

6–कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 173/11–बी–6(धारा–4) दिनांक 7–9–2020.

7–इस कार्यालय का पत्रांक 798/33–1 दिनांक 24–09–2020.

8–इस कार्यालय का पत्रांक 1088/23–10 दिनांक 21–10–2020.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रयुक्त वन भूमि के वदले ग्राम पुरना व पेढ़ तहसील घोरावल परगना बढ़हर जनपद सोनभद्र में प्राप्त गैर वन भूमि से सम्बन्धित तरमीमी मानचित्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि अभिलेख त्रुटि रहित तथा प्राप्त गैर वन भूमि में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। प्राप्त गैर वन भूमि के सीमांकन में जो सीमा स्तम्भ लगाये गये हैं, उन पर काले पेन्ट से कम संख्या अंकित करा दें, तथा उसी कम में मानचित्र पर भी पीलर संख्या इंगित कराकर मानचित्र प्रस्तुत करें। यद्यपि इस कार्यालय के पत्र सं0–221/33–1 दिनांक 27–7–2020 द्वारा भा0व0अ0 1927 की धारा 4 हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया गया था। परन्तु यह आपत्ति लगाते हुए ...वली वापस की गयी है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः आपको पुनः कड़े निर्देश दिये जाते हैं कि आप उप जिलाधिकारी, घोरावल से सम्पर्क कर प्रयुक्त वन भूमि के वदले ग्राम पुरना व पेढ़ तहसील घोरावल परगना बढ़हर जनपद सोनभद्र में प्राप्त गैर वन भूमि से सम्बन्धित तरमीमी मानचित्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि अभिलेख त्रुटि रहित तथा प्राप्त गैर वन भूमि में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। प्राप्त गैर वन भूमि के सीमांकन में जो सीमा स्तम्भ लगाये गये हैं, उन पर काले पेन्ट से कम संख्या अंकित करा दें, तथा उसी कम में मानचित्र पर भी पीलर संख्या इंगित कराकर मानचित्र प्रस्तुत करें।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।

संख्या– 1422 / 33-1 समदिनांक।

प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी, घोरावल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)

संलग्नक - 11

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।

पत्रांक 2950 /10-1 मिर्जापुर/दिनांक, जून 21, 2023

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी

घोरावल रेंज।

विषय:1–मु0सं0–डी 200231660000227 सन् 2023 प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर बनाम उ0प्र0 सरकार अन्तर्गत धारा 30 (2) राजस्व संहिता 2006 मौजा पेढ़ परगना बड़हर तहसील घोरावल जनपद–सोनभद्र में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2023 के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

2–मु0सं0–डी 200231660000228 सन् 2023 प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर बनाम उ0प्र0 सरकार अन्तर्गत धारा 30 (2) राजस्व संहिता 2006 मौजा पुरना परगना बडहर तहसील घोरावल जनपद–सोनभद्र में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2023 के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भ: 1– अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सोनभद्र का पत्रांक 228/रीडर रिपोर्ट दिनांक 16.05.2023

2–अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सोनभद्र का पत्रांक 229/रीडर रिपोर्ट दिनांक 16.05.2023

उपरोक्त विषयकसंदर्भित पत्र के माध्यम से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सोनभद द्वारा रेणुसागर पावर कम्पनी के ऐस डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत 61.2348है0 वन भूमि प्रयोगार्थ के सापेक्ष कैमूर वन्य जीव प्रभाग के घोरावल रेंज अन्तर्गत कमशः ग्राम पेढ़ में 19.354है0 एवं ग्राम पुरना में 38.205है0 उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4/29 का प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु मे0 हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट सोनभद्र को लिखा गया था।

उक्त के कम में मे0 हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट सोनभद द्वारा अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सोनभद्र के न्यायालय में ग्राम पेढ़ व पुरना में उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि का तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु वाद दाखिल किया गया है। उक्त गैर वन भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप विभागीय वन अधिवक्ता श्री नरेन्द्र देव पाण्डेय के माध्यम से मा0 अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सोनभद्र के न्यायालय में ग्राम पेढ़ में 19.354है0 एवं ग्राम पुरना में 38.205है0 उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4/29 का प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु अपना पक्ष रखते हुए प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।

पत्रांक 2950 / समदिनांकित

प्रतिलिपि–श्री विवेक कुमार, हेड लीगल हिण्डाल्को इन्डस्ट्रीज लि0 सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि ग्राम पेढ़ में 19.354है0 एवं ग्राम पुरना में 38.205है0 उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4/29 का प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु वांछित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।

Raj K-3

संलग्नक O.C. – 12

ADITYA BIRLA

HINDALCO

दिनांक 19.01.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मीरजापुर ।

विषयः मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट वन प्रभाग के ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण में 61.2348 हे0 गैर वानिकी कार्य के सापेक्ष कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के घोरावल रेंज अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ग्राम पूरना एवं पेढ़ में कुल 57.559हे0 गैर वन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में विज्ञप्ति हेतु तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

संदर्भः 1. संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा मुख्य वन संरक्षक महोदय, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर से दिनांक 18.01.2024 को हुई वार्ता।
2. इस संस्थान का पत्र दिनांक 05.01.2024
3. आपका पत्रांक 2165/मिर्जापुर दिनांक 21.12.2023 जो संस्थान में दिनांक 05.01.2024 को प्राप्त हुआ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें।

संदर्भित पत्रों के अनुपालन में अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2024 को संस्थान के प्रतिनिधि श्री अनुज कुमार सिंह द्वारा मुख्य वन संरक्षक महोदय, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर से विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में वार्ता की गई।

संस्थान के अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित मानचित्र में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम कराकर आख्या सहित, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, सोनभद्र के न्यायालय में जमा कराने के उपरान्त न्यायालय द्वारा वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अथवा क्षेत्रीय वन अधिकारी, घोरावल रेंज से प्रस्तावित मानचित्र जो तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित की गई है, पर सहमति माँगी गई थी, जिसपर वन विभाग द्वारा सहमति न दिये जाने के कारण संस्थान द्वारा दाखिल मुकदमा अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

Hindalco Industries Limited
P.O. Renukoot-231217, District, Sonebhadra, Uttar Pradesh, India
T: +91 5446 252077-79/254791-96 I Fax: +91 5446 252107/252427 I E: hindalco@adityabirla.com I W: www.hindalco.com
Registered Office: 21st Floor, One International Center, Tower 4, Prabhadevi,
Near Prabhadevi Railway Station, Senapati Bapat Marg, Mumbai 400013
T: +91 22 6947 7000 / 6947 7150 I F: +91226947 7001/6947 7090 I W: www.hindalco.com
Corporate ID No.: L27020MH1958PLC011238

ADITYA BIRLA
HINDALCO

अतः निवेदन है कि आप मुख्य वन संरक्षक महोदय से हुई वार्ता के क्रम में संस्थान के अधिवक्ता को ऑथोराइजेशन लेटर, वकालतनामा (संलग्न) एवं दोनों ग्रामों हेतु तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर सहमति पत्र प्रदान करने की कृपा करें, ताकि रेस्टोरेशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

सधन्यवाद,

भवदीय,
कृते हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

19/1/2024

(विवेक कुमार)
हेड–लीगल

संलग्नक : पत्रानुसार।

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक महोदय, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
प्रतिलिपि : प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र ।

Hindalco Industries Limited
P.O. Renukoot-231217, District, Sonebhadra, Uttar Pradesh, India
T: +91 5446 252077-79/254791-96 | Fax: +91 5446 252107/252427 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com
Registered Office: 21st Floor, One International Center, Tower 4, Prabhadevi,
Near Prabhadevi Railway Station, Senapati Bapat Marg, Mumbai 400013
T: +91 22 6947 7000 / 6947 7150 | F: +91226947 7001/6947 7090 | W: www.hindalco.com
Corporate ID No.: L27020MH1958PLC011238

प्राधिकरण पत्र

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर पत्र संख्या –
दिनांक मीरजापुर, जनवरी 2024 जनपद सोनभद्र के घोरावल तहसील के ग्राम पेढ़ एवं ग्राम पुरना के संबंधित भूमि का धारा 4 में विज्ञप्ति होना है जो काफी समय से राजस्व नक्शे में संशोधन न हो पाने के कारण, नहीं हो सका है। इस संबंध में पूर्व में हिण्डाल्को के अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता दुद्धी, सोनभद्र ने काफी सहयोग किया लेकिन अधिकार पत्र न होने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका, अतः मैं श्री वीरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता दुद्धी, सोनभद्र को ग्राम पेढ़ और पुरना से संबंधित नक्शे में संशोधन की विधिक कार्यवाही करने के लिए अपने विशेष अधिकारों का उपभोग करते हुए विभाग की ओर से अधिकृत करता हूँ तथा इस कार्य में घोरावल रेंजर को सहयोग करने का निर्देश देता हूँ।

वकालतनामा

न्यायालय..

....

संख्या..सन्..........................

वनाम

हम कि..

....

उपर्युक्त विवाद में अभिभावक नियुक्ति करने की आवश्यकता के कारण

मैं/हम श्रीयुत..

एडवोकेट वकील मुख्तार न्यायालय को व इकरार अदाय मेहनताना तय सुदा अपने तरफ से एडवोकेट नियुक्त करके लिखता हूँ/लिखते हैं कि इस मुकदमें में एडवोकेट वकील मुख्तार साहब उपर्युक्त हमारे तरफ से वाद पत्र लिखित कथन या अन्य कोई कागज दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करें या वापस लेवें रूपया खजाने में या न्यायालय में दाखिल करें या डिग्री जारी करावे. न्यायालय खजाने से हमारे नाम जो रूपया जमा निकाल या वसूल कर अपील रिव्यु पुनरावलोकन रिविजन या मिशिल अवलोकनार्थ विनय पत्र प्रस्तुत करे मिशिल भली भाँति निरीक्षण करें व डिग्री निष्पादन हेतु आवेदन पत्र या शपथ पत्र मेहनताना प्रमाण पत्र दाखिल करें व सुलहनामा में राजनामा बाबत कुल या किसी जुज की पेश करे हमारे तरफ से कोई बयान न्यायालय में लिखावे और जो कार्यवाही हमारे ओर से न्यायालय उचित समझें अमल में लावे यह सब हमको स्वीकार है और होंगे उपर्युक्त अभिभावक जो काम या फेल हमारे हक में लाभदायक समझकर नेक नियति से करेंगे उसी के बाबत किसी प्रकार की नुकसानी हम उनसे वसूल पाने के अधिकारी नहीं होंगे व इकरार करते है कि एडवोकेट वकील या वकलाय उपर्युक्त बिना मेहनताना कानूनी तय सुदा के किसी प्रकार की पैरवी के लिए पाबन्द न होंगे एवं हर हालत में सम्पूर्ण तय सुदा मेहनताना देने के लिए बाध्य न होंगे अतएव यह अभिभावक पत्र प्रमाण स्वरूप लिख दिया कि वक्त समय काम आवे।

दिनांक..............................

स्वीकार किया

हस्ताक्षर साक्षी

हस्ताक्षर साक्षी

हस्ताक्षर साक्षी

ADITYA BIRLA
HINDALCO

संलग्नक - 13

दिनांक 17.02.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मीरजापुर ।

विषयः मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट वन प्रभाग के ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण में 61.2348 हे0 गैर वानिकी कार्य के सापेक्ष कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के घोरावल रेंज अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ग्राम पूरना एवं पेढ़ में कुल 57.559हे0 गैर वन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में विज्ञप्ति हेतु तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

संदर्भः 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के एकीकृत कार्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित ऑनलाइन वी.सी. दि0 13.12.2023
2. आपका पत्रांक 2165/मिर्जापुर दिनांक 21.12.2023 जो संस्थान में दिनांक 05.01.2024 को प्राप्त हुआ।
3. संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा मुख्य वन संरक्षक महोदय, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर से दिनांक 18.01.2024 को हुई वार्ता।
4. इस संस्थान का पत्र दिनांक 19.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें।

विषयक प्रकरण में संस्थान के पत्र दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि संस्थान के अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित गानचित्र में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम कराकर आख्या सहित, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, सोनभद्र के न्यायालय में जमा कराने के उपरान्त न्यायालय द्वारा वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अथवा क्षेत्रीय वन अधिकारी, घोरावल रेंज से प्रस्तावित मानचित्र जो तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित की गई है, पर सहमति मॉगी गई थी, जिसपर वन विभाग द्वारा सहमति न दिये जाने के कारण संस्थान द्वारा दाखिल मुकदमा अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

ADITYA BIRLA

HINDALCO

भारत सरकार के एकीकृत कार्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग दिनांक 13.12.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक महोदय, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर से दिनांक 18.01.2024 को प्राप्त निर्देशों के क्रम में अभी तक आपके स्तर से कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः पुनः निवेदन है कि आप संस्थान के अधिवक्ता को ऑथोराइजेशन लेटर, वकालतनामा एवं दोनों ग्रामों हेतु तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर सहमति पत्र प्रदान करने की कृपा करें, ताकि रेस्टोरेशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करते हुए भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जा सके।

सधन्यवाद,

भवदीय,
कृते हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

17/2/2024

(विवेक कुमार)
हेड–लीगल

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित –

1. सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024 (0522–2326696)
2. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 17 राणाप्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 17 राणाप्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
6. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र।
7. प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र।

19-02-2024

संलग्नक - 14

ADITYA BIRLA
HINDALCO

दिनांक 10.04.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मीरजापुर ।

विषयः मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट वन प्रभाग के ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण में 61.2348 हे0 गैर वानिकी कार्य के सापेक्ष कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के घोरावल रेंज अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ग्राम पूरना एवं पेढ़ में कुल 57.559हे0 गैर वन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में विज्ञप्ति हेतु तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।
(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/IND/39403/2019)

संदर्भः
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के एकीकृत कार्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित ऑनलाइन वी.सी. दि0 13.12.2023
2. आपका पत्रांक 2165/मिर्जापुर दिनांक 21.12.2023 जो संस्थान में दिनांक 05.01.2024 को प्राप्त हुआ।
3. संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा मुख्य वन संरक्षक महोदय, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर से दिनांक 18.01.2024 को हुई वार्ता।
4. इस संस्थान का पत्र दिनांक 19.01.2024 एवं दिनांक 17.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें।

विषयक प्रकरण में संस्थान द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2024 एवं 17.02.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि संस्थान के अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित मानचित्र में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम कराकर आख्या सहित, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, सोनभद्र के न्यायालय में जमा कराने के उपरान्त न्यायालय द्वारा वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अथवा क्षेत्रीय वन अधिकारी, घोरावल रेंज से प्रस्तावित मानचित्र जो तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित की गई है, पर सहमति मॉगी गई थी, जिसपर वन विभाग द्वारा सहमति न दिये जाने के कारण संस्थान द्वारा दाखिल मुकदमा अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

ADITYA BIRLA
HINDALCO

भारत सरकार के एकीकृत कार्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग दिनांक 13.12.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक महोदय, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर से दिनांक 18.01.2024 को प्राप्त निर्देशों के क्रम में अभी तक आपके स्तर से कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः पुनः सादर अनुरोध है कि आप संस्थान के अधिवक्ता को ऑथोराइजेशन लेटर, वकालतनामा एवं दोनों ग्रामों हेतु तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर सहमति पत्र प्रदान करने की कृपा करें, ताकि रेस्टोरेशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करते हुए भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जा सके।

सधन्यवाद,

भवदीय,
कृते हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

10/04/2024

(विवेक कुमार)
हेड–लीगल

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित –

1. सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024 (0522–2326696)
2. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 17 राणाप्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 17 राणाप्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
6. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र।
7. प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र।